रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2010/भाद्र 12, 1932

No. 491] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2010/BHADRA 12, 1932

## नागर विमानन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2010

**सा.का.नि. 726(अ).**—चूंकि वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार वायुयान (संशोधन) नियम, 2010 का प्रारूप भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 606(अ) तारीख 12 जुलाई, 2010 संख्यांक द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां, जनसाधारण को तारीख 20 जुलाई, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और प्रारूप नियमों की बाबत उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामशः :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 है ।

2. **नियम 29ख का संशोधन.**—वायुयान नियम, 1937 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा) में नियम 29 ख में,—

(i) "जिससे वायुयान के नौ परिवहन या संसूचना प्रणाली में विघ्न कारित होता हो," शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) परंतु के स्थान पर निम्नलिखित परंतुकों और स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः :—

"परन्तु कमान पायलट, विमान के अवतरण और सक्रिय धावनपथ को पार करने के पश्चात् विमान के यात्रियों द्वारा सेल्यूलर टेलीफोन के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकता है सिवाय तब जब निम्न दृश्यता परिस्थितियों में विमान अवतरण करता हो, जैसाकि महानिदेशक द्वारा समय-समय पर जैसा विहित किया जाए :

परन्तु आगे यह भी कि इस नियम के प्रावधान संवहनीय वाग्संकक, श्रवण-सहाय, हृदयगति नियामक, विद्युत उस्तरा या अन्य किसी संवहनीय इलैक्ट्रानिक युक्तियों को लागू नहीं होंगे जो प्रचालक की राय में उस वायुयान की नौ परिवहन या संसूचना प्रणाली में विघ्न कारित नहीं करती है जिस पर वह प्रचालित की जानी है और जिसके लिए प्रचालक ने महानिदेशक का अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया है।

**स्पष्टीकरण.**—इस नियम के प्रयोजनों हेतु विमान को उड़ान पर तब समझा जाएगा जब आरोहण के पश्चात् उसके सभी बाहरी दरवाजे बंद हों, उस समय तक जब अवरोहण हेतु ऐसा कोई दरवाजा खोला जाए ।"

[फा. सं. ए वी. 11012/5/2010-ए]

प्रशांत सुकुल, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी** : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. वी-26, तारीख 23 मार्च, 1937 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित तारीख 29 जुलाई, 2010 की सं. सा.का.नि. 643(अ), तारीख 29 जुलाई, 2010 द्वारा किया गया ।

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2010

**G.S.R.726(E).**—Whereas the draft of Aircraft (Amendment) Rules, 2010 further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published, as required by Section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation number G.S.R. 606(E), dated 12th July, 2010, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 20th July, 2010;

And whereas no objections or suggestions have been received from any person in respect of the draft rules within the period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely :—

**1. Short title.**—These rules may be called the Aircraft (3rd Amendment) Rules, 2010.

**2. Amendment of Rule 29B.**—In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 29B—

(i) the words "which may cause interference with navigation or communication system of the aircraft" shall be omitted;

(ii) for the proviso, the following provisos and the Explanation shall be substituted, namely :

"Provided that Pilot-in-Command may permit the use of cellular telephone by the passengers of a flight after the aircraft has landed and cleared active runway, except when the landing takes place in low visibility conditions as may be determined by the Director-General from time to time:

Provided further that the provisions of this rule shall not apply to portable voice recorders, hearing aids, heart pacemaker, electric shavers or other portable electronic devices which, in the opinion of the operator, do not cause interference with the navigation or communication system of the aircraft on which it is to be operated and for which such operator has obtained approval of the Director-General.

**Explanation.**—For the purposes of this rule an aircraft shall be deemed to be in flight when all its external doors are closed following embarkation until the moment when any such door is opened for disembarkation."

[F. No. AV.11012/5/2010-A]

PRASHANT SUKUL, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 643(E), dated the 29th July, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 29th July, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.